राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

वित्त समिति की दशम बैठक की कार्यवाही विवरण

स्थल : कुलपति सचिवालय सभा कक्ष

दिनांक : 17 अगस्त, 2013

समय : प्रातः 11.30 बजे

Rajsthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No. -0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

क्रमांक : एफ / (3) / लेखा / XFC / 13 / 10819-30 दिनांक 19/8/13

श्री एस.एन. शर्मा वित्त अधिकारी ....
वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।

विषय : वित्त समिति की दशम बैठक दिनांक 17 अगस्त 2013 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दशम बैठक दिनांक 17 अगस्त 2013 को कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

भवदीय,

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

क्रमांक : एफ / (3) / लेखा / XFC / 13 दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 निदेशक (विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय) आर.टी.यू., कोटा।
4 निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय
5 कुलसचिव, आर.टी.य., कोटा को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।

वित्त अधिकारी
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

उपस्थित सदस्यों की सूची

1	प्रो. आर. पी. यादव कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	अध्यक्ष
2	श्री आबिद खान, मुख्य लेखाधिकारी प्रतिनिधि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
3	श्री आर.के. गुप्ता संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
4	प्रो. आर.सी. गौड़ प्रतिनिधि, प्रतिकुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5	श्रीमती भागवन्ती जेठवानी कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
6	प्रो. एन.पी. कौशिक परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
7	श्री एस. एन. शर्मा वित्त अधिकारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य सचिव

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

(दशम वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.08.2013) का कार्यवाही विवरण

वि.स.क्र. 10.1 : वित्त समिति की नवम बैठक का कार्यवाही विवरण :–

वित्त समिति की **नवम** बैठक दिनांक 17.08.2013 को प्रातः 11.30 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. आर. पी. यादव, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

नवम वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/IX FC/13/14840-52 दिनांक 18.02.2013 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 11 से 21 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गयी।

वि.स.क्र. 10.2 : नवम वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.02.2013 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।

नवम वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.02.2013 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड की 16वीं बैठक के आइटम नं. 16.4 से होने के उपरांत पालना प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत पालना पर बिन्दु संख्या 9.8 पर अग्रिमों के समायोजन/वसूली के लिए वांछित कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए शेष अनुपालना पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

वि.स.क्र. 10.3 : साक्षात्कार मंडल के सदस्यों, विषय विशेषज्ञों, प्रबंध मंडल के सदस्यों को टेक्सी की दरों के वास्तविक भुगतान के संबंध में। (कुलसचिव)

वर्तमान में प्रबंध मंडल, विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों, विषय विशेषज्ञों, **साक्षात्कार मंडल** के सदस्यों को विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में भाग लेने हेतु उनके द्वारा किराये पर ली गई टेक्सी का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध पर लिये जाने वाले वाहनों (टेक्सी) की अनुमोदित दरों के अनुरूप किया जा रहा

है जबकि इन दरों पर विभिन्न शहरों/महानगरों से आने वाले आगन्तुकों को किराये पर वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते है। जिसके परिणामस्वरूप माननीय सदस्यों/आगन्तुकों द्वारा वाहन के वास्तविक किराये के पुनर्भरण के संबंध में अनुरोध किया जाता रहा है। अतः संबंधित सदस्यों को उनके द्वारा किराये पर ली गई टेक्सी के प्रस्तुत किराये के बिल के अनुसार वास्तविक किराया राशि का भुगतान विश्वविद्यालय संविदा वाहनों हेतु अनुमोदित दरों के अतिरिक्त 25% की सीमान्तर्गत किया जाना प्रस्तावित किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरों का माननीय कुलपति की स्वीकृति के अध्यधीन अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 10.4 : सेवानिवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाशों के भुगतान हेतु पृथक कोष सृजित करने के संबंध में।
(वित्त अधिकारी)

वर्तमान में राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को उनके खाते में बकाया उपार्जित अवकाश के एवज में नकद (अधिकतम सीमा 300 दिवस तक) भुगतान किया जा रहा है जो वर्तमान में वेतन मद से आहरित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों को उपादान राशि के भुगतान के लिए ट्रस्ट गठित कर भारतीय जीवन बीमा निगम **(कोष प्रबंधन एजेन्सी)** के माध्यम से उपादान कोष गठित किया जा चुका है। अतः तदनुसार विश्वविद्यालय के कार्मिकों को सेवानिवृति पर अवकाश नकदीकरण भुगतान हेतु समूह अवकाश नकदीकरण योजना के तहत उपार्जित अवकाश नकदीकरण कोष का सृजन किया जाना प्रस्तावित किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया एवं विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार श्री राजीव पांडे की राय प्राप्त कर प्रस्ताव की शीघ्र क्रियान्विति किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 10.5 : गेस्ट हाउस में आवास, भोजन एवं समारोह स्थल की दरों में वृद्धि बाबत।
(सम्पदा अधिकारी)

वर्ष 2006–07 से गेस्ट हाउस के कमरों में ठहरनें, भोजन एवं समारोह स्थल के चार्जेज में कोई वृद्धि नहीं की गई है जबकि विद्युत चार्जेज, जल शुल्क इत्यादि की दरों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। अतः गेस्ट हाउस एवं समारोह स्थल की दरों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है जो परिशिष्ट 3 पर पृष्ठ संख्या 30 से पृष्ठ संख्या 33 पर प्रस्तुत की गयी।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर संशोधित प्रारूप (परिशिष्ट 1) के अनुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही गेस्ट हाउस के नियमित संचालन हेतु प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कुक एवं अटेन्डेन्ट संविदा पर रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 10.6 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कार्यालयाध्यक्षों एवं आहरण वितरण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में। (वित्त अधिकारी)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावी एवं कुशल वित्तीय नियन्त्रण हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/राजस्थान कोषागार नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता एवं औचित्य के मध्यनजर विश्वविद्यालय की प्राप्तियों एवं भुगतान के लिए विभिन्न अधिकारियों को "कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी" घोषित किये गये है। माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित राजपत्रित अधिकारियों/कार्मिकों के वेतन भत्तों, यात्रा, चिकित्सा बिलों के कोष एवं लेखाशाखा के माध्यम से आहरण वितरण भुगतान हेतु कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों के उक्त दावों के भुगतान के लिए उपकुलसचिव को कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया है। सभी कार्यालयाध्यक्षों को रू. 50,000/- की सीमा में (नवीन व केन्द्रीयकृत मदों को छोडकर) एवं राशि 50,000/- से अधिक के प्रकरणों में विभागीय क्रय समिति (एस.पी.सी.) एवं उच्च क्रय समिति (एच.पी.सी.) के माध्यम से सामग्री, सेवा, संकार्य के उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के अन्तर्गत वांछित उपापन हेतु अधिकृत किया गया है।
वर्तमान में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलसचिव, परीक्षा नियन्त्रक, निदेशक (यू.सी.ई.) निदेशक (अकादमिक), वित्त अधिकारी एवं सम्पदा अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण के अधिकार प्रदत्त है। विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलोजी, रिसर्च आदि के पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो चुके है एवं संबंधित अधिकारी को आहरण वितरण अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं। अतः तदनुसार सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के नियम-3 के अन्तर्गत घोषित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण-वितरण अधिकारियों की निम्नानुसार पुष्टि अपेक्षित है :-

क्र.स.	कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी	क्र.स.	आहरण वितरण अधिकारी
1	कुलसचिव	1	डीन रिसर्च
2	वित्त अधिकारी	2	उपकुलसचिव (विश्वविद्यालय के समस्त कार्मिकों के वेतन/चिकित्सा एवं यात्रा भत्तो के आहरण हेतु)
3	परीक्षा नियन्त्रक		
4	निदेशक (यू.सी.ई.)		
5	निदेशक (अकादमिक)		
6	सम्पदा अधिकारी		

वित्त अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी के साथ–साथ वित्तीय सलाहकार एवं राजस्थान कोषागार नियमों (यथावश्यक परिवर्तन/संशोधन सहित) के अंतर्गत कोषाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे। प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर पुष्टि की गयी।

वि.स.क्र. 10.7 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में लेखाकार्मिकों/वाहन चालक के पद सृजित करने बाबत। (कुलसचिव)

अभियान्त्रिकी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद लेखाशाखा के कार्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है एवं विश्वविद्यालय में 6 कार्यालयाध्यक्ष एवं 2 आहरण–वितरण अधिकारी घोषित है जबकि लेखाकार्मिकों के स्वीकृत पदों में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसके परिणामस्वरूप एक कार्मिक को एकाधिक अनुभागों का अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया हुआ हैं एवं कार्यभार की अधिकता के कारण विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा संबंधी कार्यो के सुचारू संचालन में अत्यधिक कठिनाई महसूस की जा रही है क्योंकि प्रतिनियुक्ति रो भरे जाने वाले पद भी गत वर्षो में अधिकांशतः रिक्त रहे है/रिक्त चल रहे है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में उपलब्ध तीन वाहन (एक बस दो कार) के समक्ष वर्तमान में वाहन चालकों के 2 पद स्वीकृत हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय के वाहनों के संचालन/उपयोग गें कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः लेखाकार्मिकों/वाहन चालक के निम्नानुसार पदों का सृजन प्रस्तावित किया गया :–

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पद		प्रस्तावित अतिरिक्त पद
		विश्वविद्यालय	प्रतिनियुक्ति	विश्वविद्यालय
1	वित्त अधिकारी	..	01	
2	लेखाधिकारी	..	02	
3	सहायक लेखाधिकारी	..	02	01
4	लेखाकार	01	02	01
5	कनिष्ठ लेखाकार	02	0	02
6	वाहन चालक	02	0	01

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रबंध मंडल के अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 10.8 : सम्पदा विभाग हेतु एक किराये के वाहन की स्वीकृति बाबत। (सम्पदा अधिकारी)

सम्पदा अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय क्षेत्र में फैले हुए अनुरक्षण/निर्माण कार्यो की निगरानी एवं पदीय कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु मासिक आधार पर किराये के वाहन की मांग की गई है जो पृष्ठ संख्या 34 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः राज्य सरकार द्वारा संविदा वाहन किराये की स्वीकृत दरों एवं शर्तो पर एक इंडिका वाहन/जीप किराये पर लिये जाने की स्वीकृति अपेक्षित है।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 10.9 : सम्बद्धता शुल्क निर्धारण बाबत। (निदेशक अकादमिक)

विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक अकादमिक अनुभाग के लिए सम्बद्धता शुल्क, निरीक्षण शुल्क, अनापत्ति शुल्क इत्यादि की दरों का निर्धारण किया गया था। इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के पुनरावलोकन तथा उसमें नये प्रावधानों को समावेशित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा समग्र नियम प्रस्तावित किये गये जिन्हें माननीय कुलपति महोदय को स्वीकृति अनुसार बोर्ड ऑफ इन्स्पेक्शन के विचारार्थ रखा गया। बोर्ड ऑफ इन्स्पेक्शन की 40वीं बैठक में अनुमोदन उपरांत समिति द्वारा प्रस्तावित दरें/नियम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है जो परिशिष्ट संख्या 5 पृष्ठ संख्या 35 से 42 पर संलग्न है।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित नियमों में सम्बद्धता शुल्क प्रति वर्ष लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु रू. 5000/– प्रति विभाग/प्रति केन्द्र पंजीयन शुल्क लागू करने की सहमति दी गयी। रिसर्च संबंधी वांछित विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 10.10 : विश्वविद्यालय परिसर में सोलर पावर प्लान्ट स्थापित करने के संबंध में। (निदेशक यू.सी.ई.)

विश्वविद्यालय द्वारा ''एनर्जी एवं एन्वायरमेंट'' के अधिस्नातक पाठ्यक्रम में प्रारम्भ किये जा चुके है। विद्युत की दरों में निरन्तर बढोतरी होने के कारण विश्वविद्यालय के विद्युत व्यय में निरन्तर बढोतरी हो रही है। राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत प्रोत्साहन, संवर्धन, विकास हेतु राजस्थान इलेक्ट्रीक एण्ड इन्स्टूमेंट लिमि. (REIL) के माध्यम से सोलर पावर प्लान्ट स्थापित करने पर समुचित रियायत (Subsidy) प्रदान की जाती है। इस क्रम में REIL से विश्वविद्यालय परिसर में 100 KWP क्षमता का

सौर ऊर्जा प्लान्ट स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये है जिस पर कुल रू. 1.60 करोड़ का व्यय होगा। जिसमें रू. 1.30 करोड का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा एवं राशि रू. 30 लाख की सब्सिडी MNRE द्वारा प्रदान की जावेगी। परिशिष्ट 6 प्रति पृष्ठ संख्या 43 से 46 पर संलग्न है।

अतः विश्वविद्यालय परिसर में राज्य सरकार के उपक्रम REIL के माध्यम से 100 KW क्षमता का सोलर पावर प्लान्ट (अनुमानित व्यय रू. 1.30 करोड) स्थापित कराये जाने के संबंध में प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर आवश्यक विचार विमर्श उपरांत सहमति प्रदान करते हुए प्रायोगिक तौर पर पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में उपयुक्त क्षमता के पावर प्लांट REIL के माध्यम से (Phasemanner में) लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

वि.स.क्र. 10.11 : **विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विदाई समारोह पर होने वाले व्यय में वृद्धि बाबत। (कुलसचिव)**

विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के विदाई समारोह पर होने वाले व्यय के लिए विश्वविद्यालय कोष से वर्तमान में 1500/– का भुगतान किया जाता है लेकिन बढती हुई महंगाई के मध्यनजर सेवानिवृत्त विदाई समारोह पर किये जाने वाले व्यय में बढोतरी की मांग कर्मचारियों द्वारा लगातार की जा रही है।

अतः विश्वविद्यालय कार्मिकों की सेवानिवृति पर आयोज्य विदाई समारोह पर किये जाने वाले व्यय की सीमा माह जुलाई 2013 से रू. 3000/– (प्रति कार्मिक) किये जाने हेतु कुलसचिव द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये है जो परिशिष्ट 7 पृष्ठ संख्या 47 पर प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित (भावी) व्यय Staff Welfare Fund से भुगतान करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 10.12 : **विश्वविद्यालय के कार्मिकों को संशोधित षष्ठम वेतनमान 2008 का लाभ राज्य सरकार के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से दिये जाने वाबत। (कुलसचिव)**

माननीय कुलपति के अनुमोदन उपरांत कुलसचिव के परिपत्र क्रमांक एफ(4)ग्रप.2(59.3)Vol.2/षष्टम पु.वे.नि.2008/2013–14/2438–78 दिनांक 12.07.2013 द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में कार्यरत कार्मिकों को राज्य सरकार के नोटिफिकेशन No.F14(1)FD(Rules)/2013-I जयपुर 06.04.2013 No.F14(1)FD(Rules)/2013-II जयपुर 28.06.2013 ज्ञापन क्रमांक

प.14(88)वित्त(नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 एवं प.14(85)वित्त (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान संबंधी आदेश विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के आदेश में वर्णित तिथि से लागू किये जा चुके है। (प्रति संलग्न पृष्ठ संख्या 48 से 49 तक) जो समिति को अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सहमति प्रदान की गयी।

वि.स.क्र. 10.13 : विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभागों के एयर पुरानें कंडीशनर्स को रिप्लेस करने हेतु। (निदेशक यू.सी.ई.)

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभागों में वर्षो पुरानें एयर कंडीशनर लगे हुए है जिन पर मरम्मत/संधारण एवं विद्युत व्यय पर अत्यधिक व्यय हो रहा है। राज्य सरकार/भारत सरकार के "कार्बन डेटिंग" संबंधी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये इनर्जी एफिशियंट एवं नवीनतम तकनीक से बने हुये इलेक्ट्रोनिक उत्पाद उपापन के निर्देश है। संबंधित विभागों/अनुभागों द्वारा ऐसे पुरानें एयर कंडीशनर को रिप्लेस करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है जो परिशिष्ट 9 पृष्ठ संख्या 50 से 54 पर संलग्न किये गये।

समिति द्वारा प्रस्तावित प्रकरण पर आवश्यक विचार विमर्श उपरांत निर्देश प्रदान किये गये कि विद्यमान कार्यशील एयरकंडीशनर्स का सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत सर्वे समिति के माध्यम से सर्वे उपरांत अनुपयोगी/अप्रचलित घोषित कर निस्तारण किया जाये एवं उनके स्थान पर एनर्जी एफिशियन्ट/नवीन तकनीक से निर्मित एयर कंडीशनर्स का नियमानुसार क्रय किया जावे।

वि.स.क्र. 10.14 : इन्टर कॉलेज/इन्टर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दैनिक/आनुषांगिक भत्ते आदि स्वीकृत करने के संबंध में। (खेल अधिकारी)

खेल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के कार्मिकों के लिए विभिन्न क्रीड़ा अन्तर्विश्वविद्यालय/अन्तर्महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु दैनिक भत्तों एवं अन्य आनुषांगिक व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है तथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा स्वीकृत आलोच्य दरों की सूची प्रस्तुत की गई है जो परिशिष्ट 10 पृष्ठ संख्या 55 से 56 पर संलग्न है।

दरों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

Sr.No.	Particulars	Proposed Rates
1	D.A. for Coaching Camp and Inter University participation and Journey period	225/-
2	Conveyance Charges (Assembly place, Starting place and Inter University participation per place) per change	40/-
3	Conveyance charges for local manager coaches during the coaching camp (Per Person)	50/-
4	Refreshment charges for match	40/-
5	Special Refreshment charges for the members of the teams which finish Winners & Runner-up per player.	50/-
6	Kit money to the players, Coaches & Managers	1100/-
7	First Aid material	100/-
8	Contingency charges for the team	100/-

अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर निम्नानुसार दरें स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया :–

क्र.स.		अंतर विश्वविद्यालय	अंतर महाविद्यालय
1	महंगाई भत्ता (प्रतिदिन)	225/-	115/-
2	नाश्ता भत्ता (प्रति मैच)	40/-	30/-
3	किट सामग्री	1100/-	400/-
4	स्थानीय वाहन भत्ता (प्रतिदिन)	40/-	40/-
5	चिकित्सा सहायता (प्रति टीम)	400/-	400/-
6	आकस्मिक व्यय (प्रति टीम)	200/-	100/-

प्रतिभागियों को यात्रा व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।

कुलपति
एवं
अध्यक्ष, वित्त समिति

वित्त अधिकारी
एवं
सदस्य सचिव, वित्त समिति

परि.–1

RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY, KOTA
Rawatbhata Road, Akelgarh, Kota- 324 010
Phone- 0744-2473913, Fax- 0744-2473002

Recommendations of the guest house regulations committee as approved by Finance Committee are as under:-

1. Eligibility for Guest House.

Category-A

i. Members of BOM, Academic council, Board of Studies and any other Authority/bodies of University.
ii. Expert members visiting for interviews.
iii. Officers from AICTE/UGC/MHRD etc.
iv. Expert visiting for campus placement.
v. Family members of faculty and staff of RTU and UCE.
vi. External examiners of RTU & UCE.
vii. Experts visiting for delivering lectures.
viii. Delegates attending conference, seminar, sports events in RTU and UCE.
ix. Any person on official duty of RTU and UCE.

Category-B

i. Alumni Members of UCE
ii. Ex- Employee/ Faculty Members of RTU & UCE
iii. Parents of Students of UCE
iv. Students' parents of colleges affiliated to RTU coming for University work.
v. Guest of faculty & staff of RTU & UCE.
vi. Employees of state/central Govt./ any other University/Autonomous bodies, Local Bodies/Govt. Undertaking etc.

Category-C

i. Guest with the permission of the competent authority i.e. HVC.
ii.

2. **University Guest**

i. Members visiting for participation in BOM, Finance Committee, Academic Council, Board of Studies and any other meeting of affiliation and recognition like AICTE, UGC, and MHRD.

ii. Technical & Higher Education officials for University related activities.

iii. Experts visiting for placements of students.

iv. Experts visiting for interviews in RTU & UCE.

v. External Examiners visiting for M. Tech, Ph.D. viva-voce permitted by the Hon'ble V.C.

vi. Experts visiting for delivering lecture in RTU and UCE permitted by the Hon'ble V.C.

They will be given free accommodation in Guest House for one day prior and one day after the said meeting/Exam/Lecture. Official stay shall include lodging and boarding.

3. Rates of Guest House/Annexie and allotment norms:-

i. Rates of room of guest house and annexie shall be as per Table-I

ii. For room allotment in guest house to guest of faculty and staff, they will submit application normally 3 days in advance to Chairman Estate / Estate Officer after approval by HVC, Rooms will be allotted by OIC Guest House on first cum first basis as per availability of rooms. For UCE students & their parent's application will be forwarded by Chief Warden/ Chief Proctor.

vii. Room No. 1 & Room No. 2 will be given only after permission of Hon'ble V.C.

Table-I

Tariff for Guest House/Annexie Per Day:

Room Charges Per day	**Category**		**A**		**B**		**C**	
			Non AC	**AC**	**Non AC**	**AC**	**Non AC**	**AC**
Main Guest House								
	Double		**100**	**250**	**150**	**400**	**200**	**600**
Annexie	B-Type							
		Double	**100**	**200**	**150**	**300**	**200**	**400**
	D-Type	Per Bed	**50**		**75**		**100**	

4. **For Marriage & other functions.**

Following will be the category.

A. **X-Category**

i. Only to the existing employees of RTU and UCE and their family members for marriage and other function.

ii. Ex. Employees of RTU and UCE and their family members for marriage and other function.

B. **Y- Category-** Any other case permitted by Hon'ble V.C

5. **(i) Charges for marriage and other function.**

a. Complete guest house: 4 rooms (room no. 3 to 6)+ Kitchen+Dining Hall

b. X- Category Rs. 2500.00 Y- Category Rs. 4000.00. Room No. 1 will only be provided after the approval by competent authority (HVC) on additional charges at prescribed rates mentioned in Table-I.However Room No. 2 will be kept reserved.

(ii) Small Function- In guest house with only dining space and kitchen.

X- Category=Rs. 700/- Y-Category Rs. 1000/-

(a) Land in front of guest house + Lawn.
X- Category Rs. 5000/- Y- Category Rs. 10000/-
Electricity Charges as per actual use.

(b) Ex employees and other persons permitted by the HVC will deposit refundable security deposit of Rs. 5000/- in addition to above charges.

(c) Extra Charges for cleaning for guest house will be Rs. 1000/- & for B, C, D Type 5^{th} & 6^{th} type qtr. Rs. 250/- for each qtr. Allotted

6. Charges for additional vacant quarters for marriage and other function.

House	X-Category	Y-Category
B-Type	Rs. 500/- Per day	Rs. 1000 Per Day
C-Type	Rs. 350/- Per day	Rs. 700 Per Day
D-Type	Rs. 250/- Per day	Rs. 500 Per Day
Type-5^{th} & 6^{th}	Rs. 200/- Per day	Rs. 400 Per Day

7. Charges for Tea Break Fast, Lunch, Dinner.

Tea (150 ml) = Rs. 8.00
Milk (200ml)=Rs. 10.00
Biscuit (50 Gm.) =Rs. 10.00
Break Fast (Milk, Corn Flakes, Bread, Butter, Tea) = Rs. 35.00
Break fast (Alu-Paratha +50Gm. Dahi + Achar) = Rs. 35.00
Lunch (Chapati, Subjee, Daal, Rice, Papad, Salad) = Rs. 60.00
Dinner (As served in Lunch + Sweet) Rs. 80.00

Note: These rates shall be revised/review in every six months.

8. General Terms & Conditions of allotment:

a. Rent will be deposited in account section of RTU.
b. Approval authority shall be HVC or University officers authorized by HVC
c. Full allottement amount shall be deposited in advance before allotment.
d. Priority will be given in order of categories mentioned above.
e. Final confirmation before 30 days.
f. Orders will be issued by the Estate Officer.
g. Charges have been taken on per day basis from S.No. 1 to 6.
h. Family members (Father, Mother, Brother, Sister, Son, & Daughter of employees only)
i. In the case of multiple applications on the same day, preference will be given to category A/B/C & X/Y However all the allotments shall be subjected to discretion of HVC.
j. After allotment if cancellation is done by the allottee before 15 days of due date, 90% deposited amount shall be refunded.
k. If cancellation is done by the allottee before 5 days of due date, 50% amount shall be refunded.
l. Nothing shall be refunded if cancellation is done within 5 days of due date/function date.
m. Applications for marriage & other function shall be accepted before 45 days or lesser period prior to due date/function date.
n. The checkout time shall be as per norms of circuit house/state Govt.
o. In case of any causality/emergent conditions/ Govt. Interest, the allotment can be cancelled at any time by the competent authority & in such case deposited amount shall be refunded to the allottee.

Note:- The rates shall be applicable from the date of issue of orders.

Estate Officer | Financc Officer